

File No. 7573/4/23/2021

07.11.2022

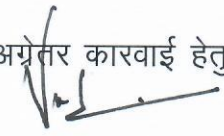
प्रस्तुत संचिका में दिनांक 28.07/17.08.2022 के आदेश के द्वारा बिहार सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से कारण पृच्छा नोटिश भेजा गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विशाल कुमार को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के लिए क्यों नहीं उन्हें एक लाख रू० का क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाय।

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) एवं सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग के द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है :-

1. मामले में सदर थाना कांड सं० 505/2020 के अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० श्री रघुवीर सिंह के द्वारा अनुसंधान में बरती गयी लापरवाही के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मामले में मुआवजा भुगतान के बिंदु पर आयोग का जो निर्णय होगा, राज्य सरकार उसपर विचार करेगी।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 28.07/17.08.2022 के आदेश को संपुष्ट करते हुए राज्य सरकार को पीड़ित विशाल कुमार को एक लाख रू० का क्षतिपूर्ति अनुदान 3 माह के अंदर भुगतान करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया जाता है।

संचिका दिनांक 22.02.2023 को अनुपालन प्रतिवेदन एवं अग्रोत्तर कारवाई हेतु।


(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson